संख्या-83/2021/1029/22-2-2020-17(238)/2016

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 02 जून, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नीरज सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह, निवासी जनपद-गोण्डा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.09.2020, दिनांक 02.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी नीरज सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह, अर्जुन सिंह बनकटी, थाना-धानेपुर, जनपद-गोण्डा का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 19.06.2006 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-183/2007 व 184/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 224/149, 302/149 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-05, गोण्डा के आदेश दिनांक 20.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 14 वर्ष 02 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 05 माह 17 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, जेल आचरण नितांत असन्तोषजनक एवं जेल दण्ड-09 तथा कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी नीरज सिंह (बन्दी संख्या-26261) पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह, निवासी जनपद-गोण्डा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-83/2021/1029(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in